भाजपा ने बजट को बताया ऐतिहासिक, घोषणाओं पर कांग्रेस ने जताई निराशा

मोहन सरकार का बजट जनता की नजर में

प्रदेश के विकास और सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है बजट : ऊर्जा मंत्री तोमर

ग्वालियर 18 फरवरी. ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा आज विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट तथा आगमी 02 वित्तीय वर्षो क्रमशः वर्ष 2027-28 एवं वर्ष 2028-29 हेतु रोलिंग बजट प्रस्तुत किया गया। बजट प्रदेश के विकास और सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में बनाये गये इस बजट में गरीब, युवाओं, अन्नदाता और नारी सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। ऊर्जा विभाग के लिए इस वर्ष 2026-27 में 33 हजार 606 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इससे बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिये अटल गृह ज्योति योजना के लिए 6033 करोड़ रूपये और अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 13914 करोड़ रूपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। आर.डी.एस.एस. योजना के लिए 1091 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। ट्रांसमिशन एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 700 करोड़ रूपये एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के 5 एच.पी. पंपों के लिये निःशुल्क बिजली देने के लिए 5276 करोड़ रूपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

सामाजिक समावेशन और किसानों की आय वृद्धि के नये अवसर पैदा करने वाला बजट : मंत्री कुशवाह

ग्वालियर 18 फरवरी. सामाजिक न्याय दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने मध्यप्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को राज्य के विकास कि दिशा और प्राथमिकता को तय करने वाला बजट है। उन्होंने इस बजट को सामाजिक समावेशन और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण के लिए 4570 करोड़ रुपये के प्रावधान से दिव्यांगजनों को शिक्षा, स्वरोजगार और पुनर्वास योजनाओं का व्यापक लाभ मिलेगा। इससे समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता मिलेगी। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 772 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान से किसानों की आय में वृद्धि के नए अवसर विकसित होंगे। आधुनिक तकनीक, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने से प्रदेश के उद्यानिकी उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर पहचान मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट समावेशी विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद वर्ग के प्रति सरकार की संवेदनशीलता जाहिर : अभय चौधरी

ग्वालियर 18 फरवरी. भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अभय चौधरी ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये के प्रावधान का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय समाज के वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद वर्ग के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान सराहनीय कदम है। हमारी सरकार सदैव से मानती रही है कि विकास केवल सड़कों और भवनों तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को सशक्त करना भी उतना ही आवश्यक है। वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर देना सामाजिक समरसता को मजबूत करेगा।'

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम : नवीन चौधरी

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिला मीडिया प्रभारी नवीन चौधरी ने लाड़ली बहनों के लिए 23,882 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान का स्वागत करते हुए इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा, 'लाड़ली बहना योजना के लिए इतना बड़ा बजट प्रावधान हमारी सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि बहनों के आत्मविश्वास, सम्मान और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का माध्यम है।' इस योजना से प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को सीधे लाभ मिलेगा, परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और समाज में महिलाओं की भागीदारी और भी सशक्त होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि पारदर्शी क्रियान्वयन के जरिए यह पहल प्रदेश के विकास को नई गति देगी।

सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध : धर्मेंद्र कुशवाह

ग्वालियर 18 फरवरी. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिला मंत्री धर्मेंद्र सिंह कुशवाह ने 8वीं तक के छात्रों को टेट्रा पैक में दूध उपलब्ध कराने के बजट प्रावधान का स्वागत करते हुए इसे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 8वीं तक के विद्यार्थियों को टेट्रा पैक में दूध उपलब्ध कराने का निर्णय यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक आहार मिले। बेहतर पोषण से बच्चों की शारीरिक और मानसिक क्षमता दोनों का विकास होगा।' यह पहल न केवल कुपोषण को कम करने में सहायक होगी, बल्कि स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने और शिक्षा के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने में भी मददगार साबित होगी।

कांग्रेस ने बजट को बताया बेरोजगार युवाओं के लिए भविष्य से खिलवाड़

ग्वालियर 18 फरवरी। मध्य प्रदेश भाजपा की मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीष देवड़ा द्वारा पेश किया गया। जिसे लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बजट को जनविरोधी, कर्ज पर आधारित और भ्रम फैलाने वाला बजट करार दिया है। विकास योजनांओ के नाम पर बजट में केवल आकड़ों की जादूगरी की गई है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश की जनता के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़कने जैसा है। सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार को न किसानों की चिंता है, न बेरोजगार युवाओं की और न ही महंगाई से जूझ रही आम जनता की। प्रस्तुत बजट में किसानों के लिए ठोस राहत का अभाव है, केवल घोषणाएं है, जमीन पर कुछ नहीं है, बेरोजगार युवाओं के लिए रो आज प्रदेश पर बढ़ता कर्ज आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से खिलवाड़ है। सरकार अपनी नाकामियों को चमकदार घोषणाओं के पर्दे में छिपाना चाहती है, लेकिन प्रदेश की जागरूक जनता अब सब समझ चुकी है। यादव ने कहा कि आगे कहा कि यदि भाजपा सरकार ने कर्ज की अंधी दौड़ नहीं रोकी तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट खड़ा होगा और इसका सीधा बोझ जनता की जेब पर पड़ेगा। मप्र भाजपा सरकार फिजूलखर्ची और कर्ज आधारित मॉडल छोड़कर जनता केंद्रित, पारदर्शी और जवाबदेह बजट पेश करे।

कर्मचारी नेताओं ने कहा....

ग्वालियर 18 फरवरी. म प्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ग्वालियर के जिलाध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि म प्र सरकार का बजट शासकीय सेवको व पेन्शनरो के लिए व युवाओं के लिए निराशा जनक है । इनके लिए कोई प्रावधान नही किया है।

आर एस तरेटिया राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ने कहा कि मध्य प्रदेश के बजट में पेंशनर के लिए कुछ भी नहीं है ना निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का प्रावधान है ना ही अंतरिम राहत का ना बस यात्रा में 50ज छूट का ना कम्युटेड पेंशन कटौती का ना अतिरिक्त पेंशन के लाभ का । यही नहीं छठवें ओर सातवें वेतन आयोग के लंबित एरियर 32 एवं 27 माह का प्रावधान भी नहीं हे । जबकि माननीय हाईकोर्ट अपने निर्णय में एरियर के भुगतान के आदेश दे चुका हे । हमारी ये मांगें लंबे समय से चल रही हैं । सरकार पेंशनर्स के प्रति अतिअसंवेदनशील हे । प्रदेश के पेंशनर्स सरकार की नीति से पूर्णतः नाराज हैं जिसका परिणाम आनेवाले समय में देखने को मिलेगा ।

गांवों के साथ धोखा, किसानों के साथ विश्वासघात : किसान सभा

ग्वालियर. मध्य प्रदेश किसान सभा ने प्रदेश सरकार के बजट को किसान विरोधी बजट घोषित करते हुए कहा है कि प्रदेश के किसानों को आशा थी की सरकार गेहूं की एम एस पी 3000 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने के लिए प्रावधान करेगी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बजट में किसानों की पुरानी मांग 'किसान पेंशन' का भी जिक्र नहीं है जबकि कृषि संकट और बढ़ती आत्महत्याओं को देखते हुए 5000 हजार रुपये प्रतिमाह किसानों को पेंशन मिलनी चाहिए थी। बजट में खाद की खाद की समस्या को दूर करने, चीनी मिलों को शुरू करने, पर भी कोई जिक्र नहीं है। मप्र किसान सभा के अध्यक्ष अशोक तिवारी, महासचिव अखिलेश यादव, किसान नेता सुग्रीव सिंह कुशवाह ने इस बजट को गांवों के साथ धोखा, किसानों के साथ विश्वासघात बताते हुए कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण बताते है कि प्रदेश मे सरसों, दलहन, एवं सोयाबीन का उत्पादन घटा है, इसे उलटने के मामले में सरकार का बजट इस कुछ भी चर्चा करता नजर नही आया है। बंद चीनी मिलो को शुरू करने, अटल एक्सप्रेस वे जैसी अनावश्यक बेदखली परियोजनाओं पर भी बजट चुप है।

बजट में व्यापारियों के हित और उनके विकास की बात नहीं

ग्वालियर 18 फरवरी. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भूपेन्द्र जैन ने मध्यप्रदेश के वर्ष 2026-27 के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट समृद्ध मध्यप्रदेश के लिये बनाया गया बजट है किन्तु इस बजट में व्यापारियों एवं उनके मार्केट, बाजार आदि क्षेत्रों के डवलपमेंट की बात नहीं कही गई है। औद्योगिक प्रोत्साहन के लिये लगभग 2500 करोड रूपये का प्रावधान है, वहीं डेस्टीनेशन मध्यप्रदेश, इन्वेस्टमेंट ड्राइव के लिये लगभग 200 करोड़ का प्रावधान है, किन्तु सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के बाजारों को, मार्केटो को सुव्यवस्थित करने, बाजारों में मूलभूत सुविधा जुटाने, अतिक्रमण मुक्त बाजार बनाने एवं टेक्नोलॉजी युक्त बाजार बनाने की दिशा में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश के लिये सुविधा दी गई है किन्तु बाजारों की अधोसंरचना के विकास के लिये सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में 500 करोड से अधिक की राशि अगर रखी जाती तो हम समृद्ध मध्यप्रदेश में समृद्ध बाजार और मार्केट भी तैयार कर सकते थे। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव, वित्तमंत्री जगदीश देवडा, प्रधानमंत्री की स्वदेशी खरीदो, स्वदेशी बेचो की परिकल्पना से अलग दृष्टिकोण रखते हुये स्वदेशी के विकास और आत्मनिर्भर भारत के लिये एक निश्चित राशि इस बजट में आवंटन किया जाना आवश्यक था।

लोकतंत्र सेनानियों के लिए 78 करोड़ के प्रावधान का स्वागत

ग्वालियर । आज मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में लोकतंत्र सेनानियों के लिए गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी 78 करोड़ का प्रावधान किए जाने पर लोकतंत्र सेनानी संघ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव व वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा का आभार व्यक्त किया है। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद कैलाश सोनी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष संतोष शर्मा, राष्ट्रीय सचिव मदन बाथम, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन विटवेकर, पूर्व विधायक बाबूलाल मेवरा, श्रीमती आशा टीएन चतुर्वेदी, गुलशन गोगिया, सरमन सिकरवार, नवल किशोर मिश्रा, अशोक शर्मा आदि पदाधिकारियों ने कहा कि यह प्रावधान उन लोकतंत्र रक्षकों के सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिन्होंने आपातकाल जैसे कठिन कालखंड में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हेतु संघर्ष किया। बजट में निरंतरता बनाए रखते हुए 78 करोड़ का प्रावधान किया जाना न केवल आर्थिक सहयोग है, बल्कि लोकतंत्र सेनानियों के त्याग और योगदान का संस्थागत सम्मान भी है। लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। संघ ने आशा व्यक्त की कि इस राशि के माध्यम से लोकतंत्र सेनानियों को प्रदत्त सम्मान निधि, चिकित्सा सहायता एवं अन्य सुविधाएँ और अधिक सुचारु रूप से संचालित होंगी।

बजट में ग्वालियर को एक 'आधुनिक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब' बनाने का प्रस्ताव स्वागत योग्य

ग्वालियर, 18 फरवरी। म.प्र. विधानसभा में आज प्रस्तुत किए गए राज्य बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चेम्बर ने इसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला और 'आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश' के संकल्प को सुदृढ़ करने वाला बताते हुए कहा है कि 'यह बजट संतुलित है और इसमें विकास की दूरदर्शिता दिखती है । बजट में ग्वालियर को एक 'आधुनिक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब' बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है, जो निवेश और रोजगार दोनों को आकर्षित करेगा । इस बजट का उद्देश्य औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना है, लेकिन इसका उल्लेख बजट उद्देश्यों के साथ 'निर्दिष्ट प्रावधान' के रूप में नहीं, बल्कि औद्योगिक निवेश और नीति योजनाओं के तहत किया गया है । 'ग्वालियर के व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार के कदम सराहनीय हैं, हालांकि क्रियान्वयन की गति ही इसकी वास्तविक सफलता तय करेगी ।' चेम्बर अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त अध्यक्ष-हेमन्त गुप्ता, उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-पवन कुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल ने राज्य बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य बजट में MSME के विकास और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए किए गए प्रस्तावों का हम स्वागत करते हैं । इससे प्रदेश में निवेश बढ़ेगा। साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने और सब्सिडी योजनाओं के विस्तार से नये उद्यमियों को बल मिलेगा । पदाधिकारियों ने कहा है कि बजट व्यापक है, किंतु चेम्बर ऑफ कॉमर्स का मानना है कि 'मंडी शुल्क' और पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले VAT में कमी जैसे विषयों पर सरकार को और अधिक संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता थी, ताकि प्रदेश के व्यवसायी पड़ोसी राज्यों से प्रतिस्पर्धा कर सकें ।

राजेश दंडोतिया का साइबर जागरूकता में रिकार्ड, वस्त्र बुक ने सम्मानित किया

ग्वालियर 18 फरवरी. ग्वालियर के एडीशनल एसपी रहे व अब इंदौर केएडीशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया का नाम इन दिनों पूरे देश में सायबर विशेषज्ञोंमें सबसे टाप पर है। पहले लोग इन्हें गुंडों , बदमाशों व डकैतों के लिए सिंघम अवतार के रूप में जानते थे, लेकिन अब बदलते युग में सायबर ठगों के बढते सायबर अपराधों के बीच उन्हेंसायबर जगत का भी सिंघम माना जाने लगा है। उनके तेज तर्रार शैली व नालेज से सायबरअपराधों में जहां कमी आई है , वहीं सायबर अपराधी भी धडल्लेसे पकडे जा रहे है। उन्होंने 1100 से अधिक सायबर जागरूकतासेशन कर रिकार्ड भी बनाया है , व्र्ल्ड बुक रिकार्डस लंदन नेउन्हें इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया है।इंदौर के पुलिस अधिकारी ने रच दिया इतिहासएडीशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने पूरे किये 1100 साइबर अवेयरनेस सेशनअब इंदौर शहर के एडीशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतियाने ड्यूटी पर रहते हुये 1100 साइबर अवेयरनेस सेशन पूरे कर एक ऐतिहासिकउपलब्धि हासिल की है। जानकारी के अनुसार इतनी बडी संख्या में साइबर जागरूकता सेशनपूरे करने वाले वे देश के एकमात्र पुलिस अधिकारी बन गए है।स्कूल कालेज सरकारी-निजी संस्थान, पब्लिककार्यक्रम, पाडकास्ट इंटरव्यू और वन टू वन सेशन के जरिए उन्होंने हजारोंलोगों को साइबर अपराध से बचने के तरीके बताए। राजेश दंडोतिया को विभिन्न अवार्डभी मिले है। इनमें प्रमुख रूप से अशोक अवार्ड दिल्ली सेन्ट्रल, डीजीडीआईएससीअवार्ड , कर्मवीर अवार्ड, ईटीवी के सितारे , एफसीआरएफके साथ ही मेरीलैंड यूनीवर्सिटी अमेरिका से मानसेवी डाक्टरेट की उपाधि भी मिली है।

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 17 वार्ड क्रमांक 38 भवन क्रमांक .स्थान बेलदार पुरा में स्थित है जो कि विजय कुशवाह पुत्र राम चरन के नाम से नगर निगम में आई डी क्रमांक 9000188575 पर दर्ज है। / नहीं है जिसका क्षेत्रफल 525 वर्ग फुट है उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक MP142602019A1049248 दिनांक 22/01/2019 द्वारा क्रय / उत्तराधिकार से प्राप्त/ वसीय तनामा से प्राप्त किया गया है उक्त सम्मत्तिकर मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर ।पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र पर दिनांक 18/02/2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 71/2010/58581/58773 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम। ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र.202,205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखितमें अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 18-02-2026
आवेदक का नाम/पता
तसलीम बेगम / सलीम मोहम्मद
ग्राम - बेलदार पुरा,ग्वालियर, मध्यप्रदेश

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 15 वार्ड क्रमांक 34 भवन क्रमांक .. स्थान 178 , रामबाग कॉलोनी में स्थित है जो कि निलेश, नितिन, संजीव कथूरिया के नाम से नगर निगम में आई डी क्रमांक 1000075173 पर दर्ज है। / नहीं है जिसका क्षेत्रफल 2400 वर्ग फुट है उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विभाजन पत्र विक्रय पत्र द्वारा क्रय / उत्तराधिकार से प्राप्त/ वसीय तनामा से प्राप्त किया गया है उक्त।सम्मत्तिकर मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र पर दिनांक 18/02/2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 70/2010/48421/48407 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र.202,205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखितमें अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 18-02-2026
आवेदक का नाम/पता
निलेश कथूरिया पिता स्वर्गीय देवराज कथूरिया
ग्राम - 178 , रामबाग कॉलोनी,ग्वालियर, मध्यप्रदेश

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 20 वार्ड क्रमांक 48 भवन क्रमांक .स्थान संत कवर कॉलोनी, मामा का बाजार में स्थित है। जो कि भीमन दास पुत्र स्वर्गीय नीचल दास अक्षरा के नाम से नगर निगम में आई डीक्रमांक 1000168811 पर दर्ज है।/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 452 वर्ग फुट है उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक 3871 दिनांक 26/03/2015 द्वारा क्रय / उत्तराधिकार से प्राप्त/ वसीय तनामा से प्राप्त किया गया है उक्तसम्मत्तिकर मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र पर दिनांक 09/12/2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 74/2010/65/52 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्षक्र.202,205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखितमें अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 18-02-2026
आवेदक का नाम/पता
अर्चना अग्रवाल पत्नी शंकर सिंह तोमर
ग्राम - संत कवर कॉलोनी, मामा का बाजार ,ग्वालियर, मध्यप्रदेश

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 16 वार्ड क्रं. 37, भवन क्रं. .., स्थानः साहिबा की बगिया पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती रामवीर सिंह गुर्जर / श्री रामनाथ सिंह के नाम से नगर निगम में आई.डी.क्रं. 9000188146 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 622 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रं. A100081001 दिनांक 07.02.2025 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र जीवाजीगंज क्षे.क्रं. 16 पर दिनांक 18.02.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रं. 81/2010/38756/60954/ प्र.क्रं.*3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्रीमती बाबी जाटव / श्री संतोष
पता : साहिबा की बगिया, वार्ड-37
विज्ञप्ति जारी दिनांक : 18-02-2026

भूलसुधार/आम सूचना

एतद् द्वारा सूचित हों कि दिनांक 22.01.2026 को नव भारत में प्रकाशित क्षे. क्रं. 19 वार्ड क्रं.44, की विज्ञप्ति आवेदक संघम भसीन/ अर्जुनदास स्थान पर आवेदक संजय भसीन/श्री अर्जुनदास पढा जावे, जिसका आवेदन नं. PT41682 है शेष यथवत रहेगा।

आवेदक- संजय भसीन/श्री अर्जुनदास
पताः चिटनिस की गोठ ग्वालियर मो.9425335495

सूचना

सार्वजनिक सूचित किया जाता है कि श्री बीरेंद्र सिंह कौरव, पुत्र श्री पेजसिंह, के पक्ष में निष्पादित रजिस्ट्री क्रमांक MP04 2862019A1730378, मौजा लहार, जिला भिंड, आराजी नं. 5489, क्षेत्रफल 1077 वर्गफीट, गुम हो गई है। संबंधित जानकारी होने पर प्रकाशन की तिथि से 7 दिन के भीतर सूचना प्रदान करें।

संपर्क: शहवाज शेख मो. 7294177027
रिकी शर्मा 9997771983
ई-बी 220, दूसरी मंजिल, नोएडा वन टावर बी, सेक्टर-62, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201309

आम सूचना

श्री राजकुमार कुशवाह एवं श्री बलवीर कुशवाह पुत्रगण श्री भज्जू के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित कुथौंडा रोड, प.ह.नं.23, रा.नि.वृत इंदरगढ़, ग्राम कुथौंडा, तहसील इंदरगढ़ एवं जिला दतिया (म.प्र.) में है जो भूमि सर्वे क्र.6/5 ग्राम कुथौंडा का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1736 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :-पूर्व में-भूमि विक्रेता, पश्चिम में रास्ता 15 फुट चौड़ा, उत्तर में भूमि विक्रेता एवं दक्षिण में-भूमि भज्जू कुशवाह है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री बबलू कुशवाह पुत्र श्री धनीराम एवं अन्य के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री बबलू कुशवाह द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री राजकुमार कुशवाह एवं श्री बलवीर कुशवाह पुत्रगण श्री भज्जू ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र .एमपी09592024 ए1424522 दिनांक 30.03.2024 से विक्रय की गई। श्री राजकुमार कुशवाह द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान पिरामल कैपीटल एण्ड हाउसिंग फायनेंस लि. शाखा ग्वालियर (म.प्र.) के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो ।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

श्री रमाकांत शर्मा पुत्र श्री प्रेमनारायण के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड क्र.466(पी) पर निर्मित भवन, स्थित ग्राम भदरौली, प.ह.नं.00064, रा.नि.मं.इंदरगढ़, तहसील इंदरगढ़ एवं जिला दतिया (म.प्र.) है जो भूमि सर्वे क्र.259 (बी) ग्राम भदरौली का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1377.78 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :-पूर्व में भवन भोले शर्मा, पश्चिम में भवन रामकिशुन मुदगल, उत्तर में रास्ता एवं दक्षिण में भवन कृष्णकांत मुदगल है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री रमाकांत शर्मा पुत्र श्री प्रेमनारायण के स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री रमाकांत शर्मा द्वारा उक्त सम्पत्ति के संबंध में श्रीमती शशि शर्मा पत्नी श्री रमाकांत शर्मा के हित में लिखतम हकत्याग विले